Phon/Fax No.- 05368-244067
E-mail- dfocsmnagar@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग।

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश)

पत्रांक 661 /14–1 अमेठी दिनांक 30, सितम्बर, 2022

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
ग्रीन गैस लि0,
प्रथम तल, 436, अंतरदीप काम्पलेक्स,
देवकाली बाईपास, अयोध्या–224001

विषय– **जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि0, अयोध्या द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–731 वाराणसी–लखनऊ मार्ग के बायी पटरी पर किमी0 112.00 (सुलतानपुर/अमेठी जनपद बार्डर) के किमी0 115.588 एवं किमी0 122.413 से 129.293 एवं किमी0 147.725 से 148.825 (निकट संजय गॉधी पॉलिटेक्निक कालेज, जगदीशपुर) कुल लम्बाई 11.568 किमी0 एवं 0.34704 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच.डी.डी. तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10" व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन संरक्षित वन क्षेत्र में बिछाये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ:– सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या–पी–297/81–2–2022–800(319)/2022 दिनॉक 26.09.2022 ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Pipeline/153911/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आपको एंव इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, जिसमें ग्रीन गैस लि0, अयोध्या द्वारा जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–731 वाराणसी–लखनऊ मार्ग के बायी पटरी पर किमी0 112.00 (सुलतानपुर/अमेठी जनपद बार्डर) के किमी0 115.588 एवं किमी0 122.413 से 129.293 एवं किमी0 147.725 से 148.825 (निकट संजय गॉधी पॉलिटेक्निक कालेज, जगदीशपुर) कुल लम्बाई 11.568 किमी0 पर मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच.डी.डी. तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10" व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.34704 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है।

अतः उक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या–2 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से निम्न प्रकार आप द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है–:

क0 सं0	धनराशि का मद	कुल क्षे0 हे0 में	दर प्रति हे0 रू0 में	कुल धनराशि रू0 में	किसके पक्ष में धनराशि जमा किया जाना है	भुगतान का शहर
1	2	3	4	5	6	7
1	संरक्षित वन भूमि का नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0)	0.34704	957780.00	3,32,387.97 Or 3,32,388=00 (तीन लाख बत्तीस हजार तीन सौ अट्ठासी मात्र)	आनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा के खाता में कालम–5 में अंकित धनराशि जमा करें।	नई दिल्ली

क्रमशः पेज.........2 पर

यह मूल्य अंतरिम है। शासन द्वारा अन्तिम दरें तय किए जाने पर अतिरिक्त धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से देय होगी। संदर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित शेष अन्य सभी शर्तो की अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–1168/11–सी FP/UP/Pipeline/153911/2022 दिनांक 27–09–2022 में दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्त धनराशि जमा किए जाने की पावती रसीद सहित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे विधिवत् स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एम0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमेठी वन प्रभाग

पत्रांक /उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (कैम्पा) उ0प्र0, लखनऊ।

2– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

3– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,सा0वा0, सरयू वृत्त, उ0प्र0, अयोध्या।

(एम0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
अमेठी वन प्रभाग